उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 01.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों/पेट्रोल पम्पों व अन्य वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करें व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा करें। जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, पेट्रोल पम्पों व अन्य वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया, इस दौरान बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत महोबा पुलिस प्रशासन मुस्तैद, उड़नदस्ता/स्थैतिक निगरागी टीमों का हुआ गठन, रहेगी चप्पे-चप्पे पर नजर-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व/निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कार्य सुनिश्चित कराने के निमित्त व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल की सभा के दौरान व अन्य किसी माध्यम से अत्याधिक प्रचार/खर्च, नकद या घूस के रूप में वस्तुओं का वितरण, अवैध शस्त्रों, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ उड़नदस्ता/स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया गया है जो जनपद महोबा के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेगी व जनपद में आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखेंगी व वीडियोग्राफी कराते हुए सघन चेकिंग कराना सुनिश्चित करेंगी।

बताया गया कि यह दल आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघनों और संबंद्ध शिकायतों के मामलों पर भी कार्यवाही करेगा। निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी अथवा घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आइपीसी की धारा- 171 ख और 172 ग के अंतर्गत अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण है। आइपीसी की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या उपहार का लेन-देन करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का भागी होगा।

उड़नदस्ते के प्रभारी पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेने-देने वाले व्यक्तियों, अन्य व्यक्ति जिनसे निषिद्ध वस्तुएं प्राप्त की गई हैं या ऐसे अन्य असामाजिक तत्व जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध शिकायत/एफआइआर तत्काल दाखिल की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जनपद में वाहनों की प्रभावी जांच की जाए, कोई वाहन संदिग्ध लगे तो उसकी जांच अनिवार्य रूप से करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। कहा कि सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत आती है तो उस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा बनायी गयी टीम के उ0नि0 राजकुमार द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्तियों के दौरान 01 नफर अभियुक्त रविन्द्र अहिरवार पुत्र मोतीलाल अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बरौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर हाल पता ग्राम सलैया थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को छक्कीलाल इण्टर कालेज मोड़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 59/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद आवश्यक कार्यवाही करके अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

रविन्द्र अहिरवार पुत्र मोतीलाल अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बरौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर हाल पता ग्राम सलैया थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. का0 सुदयवीर थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 01.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष अजनर उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार द्वारा गठित की गयी टीम के उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोहनपुर तिगैला यात्री प्रतीक्षालय के पास से एक नफर अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र लच्छीराम राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सिगौन थाना अजनर जनपद महोबा को मय एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 63/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विश्वनाथ पुत्र लच्छीराम राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सिगौन थाना अजनर जनपद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी थाना अजनर जनपद महोबा
2. यू0टी0 उ0नि0 योगेश रावत थाना अजनर जनपद महोबा
3. का0 सुयश दुबे थाना अजनर जनपद महोबा

थाना कुलपहाड़ पुलिस की पुलिस टीम ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 05 नफर शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध की गुण्डा एक्ट की कार्यवाही -

जनपद महोबा में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शातिर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध की जा रही ताबड़तोड कार्यवाही के क्रम में दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री भास्कर मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 05 नफर शातिर अभियुक्तगण क्रमशः 1.रमेश यादव पुत्र अमोल सिंह यादव उम्र 26 वर्ष निवासी मु0 कठवरिया कस्बा व थाना कुलपहाड़ जिला महोबा 2.शैलेन्द्र उर्फ शैलू राजपूत पुत्र इन्द्रजीत राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बिहार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 3.सोनू यादव पुत्र मंगल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी मु0 कचेरनपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 4.बृजनन्दन कुशवाहा पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र 35 वर्ष निवासी मु0 हटवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 5.धर्मेन्द्र यादव उर्फ कट्टू पुत्र कोमल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी रावतपुरा खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के विरुद्ध 3 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी। उक्त सभी अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है एंव इनके आपराधिक क्रियाकलापों से क्षेत्र की आम जनता में भय व आतंक व्याप्त रहता है।

उक्त शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मुसिसिंनं0 क्रमशः मु0सि0नं0 05/2024, 06/2024 , 07/2024, 08/2024, 09/2024 अन्तर्गत धारा 3UP गुण्डा अधिनियम के तहत निरोधाकत्मक कार्यवाही की गयी है।

निरोधात्मक कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री भास्कर मिश्र
2. उ0नि0 विकास तिवारी ,
3. का0 दिनेश सिंह 4. कां इन्द्रपाल चौहान

अभियुक्तों का विवरण-

1. रमेश यादव पुत्र अमोल सिंह यादव उम्र 26 वर्ष निवासी मु0 कठवरिया कस्बा व थाना कुलपहाड़ जिला महोबा
2. शैलेन्द्र उर्फ शैलू राजपूत पुत्र इन्द्रजीत राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बिहार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
3. सोनू यादव पुत्र मंगल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी मु0 कचेरनपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

4.बृजनन्दन कुशवाहा पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र 35 वर्ष निवासी मु0 हटवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

5. धर्मेन्द्र यादव उर्फ कट्टू पुत्र कोमल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी रावतपुरा खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना अजनर के विभिन्न सवेदनशील मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया।

क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शातिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार सहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को थाना अजनर पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न सवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 01.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मतगणना स्थल व स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 01.04.2024 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री रामप्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस एवं प्रशासनिक टीम द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय क्षेत्र महोबा में राजकीय पालीटेक्निक कालेज महोबा में स्थापित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण एवं अवलोकन किया गया। उन्होने ने स्ट्रांग रूम में सुरंक्षात्मक उपयो तथा सामांग्री वितरण एवं जमा करने की तैयारियो के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने मतगणना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देशित किया कि मतगणना के लिए सभी आवश्य तैयारियो को समय से पूर्ण कर लें।

निरीक्षण के दौरान मानचित्र के माध्यम से स्ट्रांग रूम में आने जाने वाले रास्तो पार्किंग व्यवस्था बैरिकेटिंग आदि की जानकारी लेते हुए समय से आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।